न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 17/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कन्हैया लाल गुप्ता, निवासीः— मानगंज दौसा
   मैसर्स मुकेश प्रोविजन स्टोर, मानगंज दौसा विक्रेता।
2. श्रीमति सुनिता देवी चौधरी, निवासी प्लॉट नं0 297, सेक्टर नं0 8, विद्याद्यर नगर, जयपुर। मैसर्सः—श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, सी—14, न्यू अनाज मण्डी, चान्दपोल बाजार, जयपुर विक्रेता।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 11.10.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 24.2.2016 को दोपहर बाद 04:30 बजे मैसर्स मुकेश प्रोविजन स्टोर, मानगंज दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कन्हैया लाल गुप्ता निवासी मानगंज दौसा मैसर्स मुकेश प्रोविजन स्टोर, मानगंज दौसा को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में तीन बैगो में मूल सील्ड पॉलीपैक 1 किग्रा X 72 पॉलीपैक जीरा (बी0सी0) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर इनमें से (4 मूल सील्ड पॉलीपैक X 1 किग्रा) जीरा (बी0सी0) नमूने की जॉच हेतु खरीदी। जिसकी कीमत 620 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। जो संलग्न है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को जीरा (बी0सी0) के पॉलीपैक पर चिपकाकर अलग–अलग मोटे कागज के डिब्बों में रखकर खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर पैकिटो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1337 गोंद से उपर से नीचे चिपकाकर एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह से सील चपडी उपर नीचे व दोनों साइडो से सील मोहर कर एफबीओ (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये करवाकर स्वयं व गवाहान ने हस्ताक्षर कर चारो सील्ड बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी मुख्यालय द्वारा दिनांक 25.2.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न परिवाद है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 25.2.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 26.2.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ जीरा (बी0सी0) खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./390/एक्ट/2016/1572 दिनांक 20.4.2016 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ जीरा (बी0सी0) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को पढकर सुनाया गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा बहस की गई। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो जीरा सैम्पल हेतु लिया गया है, वह कृषि उत्पाद है। कृषि जीन्स की वैरायटी वहां की जलवायु भूमि मौसम के अनुसार अलग–अलग होती है। कृषि जीन्स का कोई मानक कानूनन तय नहीं किया जा सकता है। अभियुक्तगण द्वारा कम्पनी द्वारा

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पैक माल खरीदा जाता है और पैक माल ही बेचा जाता है। इसमे किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष कि बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./390/एक्ट/2016/1572 दिनांक 20.4.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ जीरा (बी0सी0) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ जीरा (बी0सी0) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लघंन करने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त सं 1 श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कन्हैया लाल गुप्ता, निवासीः– मानगंज दौसा मैसर्स मुकेश प्रोविजन स्टोर, मानगंज दौसा विक्रेता पर 5100/–(अक्षरे पांच हजार एक सौ) रूपये एवं अभियुक्त सं0 2 श्रीमति सुनिता देवी चौधरी, निवासी प्लॉट नं0 297, सेक्टर नं0 8, विद्याधर नगर, जयपुर मैसर्सः–श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, सी–14, न्यू अनाज मण्डी, चान्दपोल बाजार, जयपुर विक्रेतापर 5100/–(अक्षरे पांच हजार एक सौ) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 11.10.2017 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

कमांक/ 6622-25
दिनांकः– 13.10.2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कन्हैया लाल गुप्ता, निवासीः– मानगंज दौसा मैसर्स मुकेश प्रोविजन स्टोर, मानगंज दौसा विक्रेता।
4. श्रीमति सुनिता देवी चौधरी, निवासी प्लॉट नं0 297, सेक्टर नं0 8, विद्याधर नगर, जयपुर। मैसर्सः–श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, सी–14, न्यू अनाज मण्डी, चान्दपोल बाजार, जयपुर विक्रेता।

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा